

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 01/11/19

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन 06 अदद लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रूपये 127.452 लाख (रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख पैंतालीस हजार दो सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक रवीकृत्यादेश संख्या-63/2018-19, दिनांक -12.02.2019, Online AA- 2097, Dated-12.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19— नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05—निर्माण / 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200796190545	127.452

आवंटित राशि — रु. एक करोड़ सत्ताईस लाख पैंतालीस हजार दो सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकारी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक रवीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी रवीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकारी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकारी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकारी के लिए संबंधित निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकारी कर उसे चालू/वचत खाता में नहीं रखा जाय।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 1.11.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 141

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/खूंटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 1.11.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 141

रॉची, दिनांक :— 01/11/19


प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सार्विकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 1.11.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक

१४१

दिनांक ०१/११/१९

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-४७०२- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय

लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-१९-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,

विसर्जन शीर्ष-०५-निर्माण

बजट उपबंध (२०१९-२०) – 14000.00 लाख
विपत्र कोड- 50S470200796190545

क्र. नाम	लघु सिंचाई का नाम	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीकृति						(राशि लाख में)						
				प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकरारित राशि	मार्च 2019 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल आवंटन	Online Allotment Access No.	अम्मुक्ति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१	इंटकोटी बिरागोड़ा नाला में चेकडैम निर्माण				103.504		91.700	0.000	65.000	26.700	91.700	91.700				
२	नामकोम सीरी नाला पर शूरू चेकडैम निर्माण				239.400		192.622	0.000	100.000	16.000	116.000	116.000				
३	(RNCMIR001) राँची राँची बुड्डू हिक्सवेरा में बसारी नाला पर चेकडैम निर्माण				123.207		107.903	0.000	65.000	11.000	76.000	76.000	70581			
४	बुड्डू सरसना नाला पर चेकडैम निर्माण				63/2018:19 dt. 12.02.2019	2097	58.752	0.000	55.000	3.752	58.752	58.752				
५	राँको रेहडो नाला पर एकल चेकडैम निर्माण				66.440	dt. 12.02.2019	100.950	83.457	0.000	25.000	38.000	63.000	63.000			
	कुल :-				633.501		534.434	0.000	310.000	95.452	405.452	405.452				
६	(RNCCRKK01) राँची राहे सुअरमारा नाला पर चेकडैम निर्माण				80.995		71.931	0.000	4.000	32.000	36.000	36.000	70584			
	कुल :-				80.995		71.931	0.000	4.000	32.000	36.000	36.000				
	सकल योग :-				714.496		606.365	0.000	314.000	127.452	441.452	441.452				

(लिंगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आमे)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

१.११.१९